बिहार सरकार,
जल संसाधन विभाग, पटना।

पत्रांक– डैम कार्य–79/2000 (पार्ट–III) - 297 पटना, दिनांकः– 13-06-2022

आदेश

बिहार राज्य के सभी बड़े बाँधों की सुरक्षित कार्य प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए समुचित निगरानी, निरीक्षण, परिचालन एवं अनुरक्षण हेतु बाँध सुरक्षा अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम 12, 2006) बिहार विधान मंडल द्वारा पारित किया गया था जिसे 4 मई 2006 से लागू किया गया। उक्त अधिनियम की धारा–5 (15) में राज्य बाँध सुरक्षा समिति (एस0डी0एस0सी0) के गठन का प्रावधान है। उक्त प्रावधान के आलोक में विभागीय आदेश संख्या–डैम कार्य/22/2007–711 दिनांक– 16.10.2007 द्वारा राज्य बाँध सुरक्षा समिति का गठन किया गया।

केन्द्र सरकार द्वारा **"बाँध सुरक्षा अधिनियम 2021"** दिनांक 14.12.2021 को अधिसूचित किया गया है तथा इस अधिनियम के प्रावधान दिनांक 30.12.2021 से प्रभावी हो गये हैं। बाँध सुरक्षा अधिनियम 2021 की धारा–11(1) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अधिनियम लागू होने की तिथि से 180 दिनों की अवधि के भीतर, **"राज्य बाँध सुरक्षा समिति" [State Committee on Dam Safety (SCDS)]** का गठन किये जाने का प्रावधान है।

"बाँध सुरक्षा अधिनियम 2021" के लागू होने के उपरान्त अधिनियम की धारा–11 (1) के प्रावधानों के आलोक में जल संसाधन विभाग,बिहार सरकार द्वारा अब **"राज्य बाँध सुरक्षा समिति" [State Committee on Dam Safety (SCDS)]** का गठन निम्नवत् किया जाता है –

1. **"राज्य बाँध सुरक्षा समिति" (SCDS)** में निम्नांकित सदस्य होंगे–

i.	अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना	– अध्यक्ष
ii.	मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकण शोध एवं गुण नियंत्रण, जल संसाधन विभाग, पटना	–सदस्य सचिव
iii.	मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, भागलपुर	– सदस्य
iv.	मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, बिहारशरीफ	– सदस्य
v.	मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, डिहरी	– सदस्य
vi.	मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, वीरपुर	– सदस्य
vii.	मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर	– सदस्य
viii.	श्री एस0 के0 कम्बोज, निदेशक, गेट (पूर्वी एवं उत्तर पूर्वी), केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली (केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली द्वारा नामित)	– सदस्य
ix.	इंजिनियरिंग संस्थान के हाइड्रोलोजी या डैम डिजाइन विशेषज्ञ (आई0 आई0 टी0, पटना/एन0आई0 टी0, पटना के प्राधिकृत प्रतिनिधि)	– 03 सदस्य
x.	श्री, कमल किशोर चौहान, निदेशक,एच0ई0पी0आर0 प्रमंडल,केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, नई दिल्ली (केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा नामित)	– सदस्य
xi.	मुख्य अभियंता, गंडक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, गोरखपुर (उत्तरप्रदेश)	– सदस्य
xii.	मुख्य अभियंता, गंगा कछार, बाणसागर परियोजना, जल संसाधन विभाग, रीवा, मध्यप्रदेश	– सदस्य
xiii.	मुख्य अभियंता, पी0एस0, उत्तर प्रदेश, एस0एल0डी0सी0, लखनऊ	– सदस्य

2. **"राज्य बाँध सुरक्षा समिति"** बाँध सुरक्षा अधिनियम–2021 के तृतीय Schedule के अनुरूप अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगी ताकि बाँध की विफलता से संबंधित आपदाओं की रोकथाम सुनिश्चित की जा सके।

3. बाँध सुरक्षा अधिनियम–2021 की धारा 13 (1) के अनुसार समिति की बैठक साल में कम से कम दो बार होनी है, जिसमें एक बैठक मानसून के पूर्व किया जाना आवश्यक है।

13/6/2022

(देव नारायण पाण्डेय)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

ज्ञापांकः– 297 पटना, दिनांकः– 13.06.2022

प्रतिलिपिः– सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के अर्ध0शा0 पत्र संख्या–N–52011/1/2021–BM, दिनांक–01 फरवरी, 2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

13/6/2022

(देव नारायण पाण्डेय)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

ज्ञापांकः– 297 पटना, दिनांकः– 13.06.2022

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सभी अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता (यात्रिक सहित), जल संसाधन विभाग, बिहार/निदेशक, एच0ई0पी0आर0 प्रमंडल, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, नई दिल्ली/विभागाध्यक्ष, असैनिक अभियंत्रण विभाग, राष्ट्रीय प्राधौगिक संस्थान, पटना/विभागाध्यक्ष, असैनिक अभियंत्रण विभाग, भारतीय प्राधौगिक संस्थान, पटना/ मुख्य अभियंता, गंडक सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, गोरखपुर, उत्तरप्रदेश/मुख्य अभियंता, गंगा कछार, बाण सागर परियोजना, जल संसाधन विभाग, रीवा, मध्यप्रदेश/मुख्य अभियंता, पी0 एस0, उत्तर प्रदेश, एस0एल0डी0सी0, लखनऊ/निदेशक, डैम सुरक्षा प्रकोष्ठ, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

13/6/2022

(देव नारायण पाण्डेय)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)